NULM

HFA

AMRUT

एन0यू0एल0एम0–उपघटक

- सामाजिक उत्प्रेरण एवं संस्था विकास
  (Social Mobilization & Institution Development)
- कौशल विकास एवं प्लेसमेन्ट द्वारा रोजगार
  (Employment through Skills Training & Placement)
- स्वरोजगार कार्यक्रम
  (Self Employment Program)
- क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण
  (Capacity Building & Training)
- शहरी फेरी व्यवसायियों को सहयोग
  (Support to Urban Street Vendors)
- शहरी बेघरों हेतु आवास योजना
  (Scheme of Shelters for Urban Homeless)

सामाजिक संगठन एवं संस्थान विकास

- संसाधन संस्थाओं के माध्यम से त्रिस्तरीय संरचना (स्वयं सहायता समूह–क्षेत्र स्तरीय संघ–नगर स्तरीय संघ) का निर्माण
- संसाधन संस्थाओं द्वारा 02 वर्ष तक स्वयं सहायता समूह को सहयोग
- समूह निर्माण गतिविधियों हेतु अधिकतम् रू0 10000/समूह की दर से अनुमन्यता
- स्वयं सहायता समूह तथा क्षेत्र स्तरीय संध को क्रमशः रू0 10 हजार तथा 50 हजार की आवर्ती निधि
- नगरीय आजीविका केन्द्रो की स्थापना
  - शहरी गरीबो द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग तथा आपूर्ति के रिक्त स्थान को भरने का कार्य नागरिय आजीविका केन्द्र द्वारा किया जायेगा।
  - शहरी गरीब सूचना तथा व्यवसाय सहायता सेवाएं प्राप्त कर सकते है।
- स्वयं सहायता समूहो तथा संघो को प्रशिक्षण तथा अन्य क्षमता अभिवृद्धि सहयोग

कौशल विकास एवं प्लेसमेन्ट द्वारा रोजगार (EST&P)

- कौशल विकास एवं प्लेसमेन्ट द्वारा रोजगार का मुख्य उद्देश्य अकुशल शहरी गरीब लाभार्थियों का कौशल विकास कर रोजगार उपलब्ध कराना।
- बेरोजगार/अल्प बेरोजगार शहरी गरीबो को बाजार मांगानुरूप रोजगार जनित कौशल विकास प्रशिक्षण।
- न्यूनतम् 70% लाभार्थियों को प्लेसमेन्ट अथवा स्वरोजगार उद्यम हेतु जुड़ाव।
- सफल लाभार्थियों की न्यूनतम् 06 माह तक ट्रेकिंग
- प्रति इकाई अनुमन्य प्रशिक्षण लागत– रू0 18000

स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP)

- **व्यक्तिगत् तथा समूह उद्यमों हेतु प्रोत्साहन तथा वित्तीय सहयोग हेतु बैंको से जुड़ाव।**
- व्यक्तिगत् उद्यम (अधिकतम् रू0 2.00 लाख) तथा समूह उद्यम (अधिकतम् रू0 10.00 लाख) के ऋण हेतु ब्याज अनुदान का प्रावधान।
- व्यक्तिगत् तथा समूह उद्यमियों द्वारा ससमय भुगतान करने की स्थिति में 7% की अनुदानित दर पर ऋण सुविधा। महिला समूहो हेतु 3% की अतिरिक्त छूट। अनुदान ब्याज राशि बैंको को निर्गत की जायेगी।

क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण (CB&T)

- राज्य शहरों में मिशन के कार्यान्वयन हेतु क्रमशः राज्य मिशन मैनेजमेन्ट यूनिट तथा सिटी मिशन मैनेजमेन्ट यूनिटों की स्थापना।

- राज्य नगरीय विकास अभिकरण को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेन्सी घोषित किया जा चुका है।

- **राज्य एवं सिटी मिशन मैनेजमेन्ट यूनिटों हेतु प्रशिक्षण एवं अन्य क्षमता अभिवृद्धि सहयोग, जिस हेतु प्रति सदस्य रू0 7500 की अनुमन्यता।**

शहरी फेरी व्यवसायियों को सहयोग (SUSV)

- फेरी व्यवसायी, वेण्डर जोन तथा विद्यमान प्रैक्टिस को चिन्हित किये जाने हेतु नगर स्तरीय फेरी व्यवसाय सर्वेक्षण।
- **नगर निकायों द्वारा फेरी व्यवसायियों को पहचान पत्र जारी करना।**
- नगरीय फेरी व्यवसाय योजना का विकास।
- **फेरी बाजारों का विकास।**
- फेरी व्यवसायियों का आधारभूत बचत बैंक जमा खाता खोलकर बैंको से जुड़ाव।
- **कार्यशील पूंजी आवश्यकता हेतु बैंको से जुड़ाव।**
- **कौशल विकास।**
- **सामाजिक सुरक्षा समन्वयन।**

शहरी बेघरों हेतु आवास योजना (SUH)

- प्रति 1 लाख शहरी जनसंख्या हेतु स्थायी सामुदायिक आवासों का निर्माण। प्रत्येक आवासीय परियोजना में 50 से 100 व्यक्तियों के निवास की सुविधा।
- किचन, पानी, शौचालय, बिजली, मनोरंजन जैसी समस्त अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता।
- प्रति व्यक्ति न्यूनतम् 5 वर्ग मी0 अथवा 50 वर्ग फिट की उपलब्धता।
- सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य अनुमन्यताओं हेतु जुड़ाव।
- निर्माण लागत 90:10 के अनुपात में भारत सरकार से प्राप्त होगी।
- **संचालन एवं रख–रखाव लागत 90:10 की अनुपात में भारत सरकार से 05 वर्ष हेतु प्राप्त होगी।**

Housing for All - 2022
Pradhan Mantri Awas Yojna (Urban)

Mission Period 2015-2022
Extended – Dec. 2024

Secretory Urban Development Department

Urban Development Directorate, Uttarakhand

Four Components of PMAY (U)

1- Beneficiary-led Individual House Construction/ Enhancement (BLC-N/ BLC-E):

- Central Assistance upto Rs. 1.5 lakh per EWS house is provided to eligible families belonging to EWS categories for individual house construction/ enhancement.
- State Share of Rs. 0.50 lakh per EWS house to beneficiary for construction of new house.
- GoI allows to sanction Dwelling Units in BLC Component in respect of Dwelling Units dropped in AHP Component

2- Affordable Housing in Partnership (AHP):

- Under AHP, Central Assistance of Rs. 1.50 and Rs. 1.00 Lakh per EWS house is provided by the GoI and State respectively.
- No further sanction by GoI In the Component

3- Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS)

- Beneficiaries of Economically Weaker Section (EWS)/Low Income Group (LIG), Middle Income Group (MIG)-I and Middle Income Group (MIG)-II seeking housing loans from Banks, Housing Finance Companies and other such institutions for acquiring, new construction or enhancement of houses are eligible for an interest subsidy of 6.5%, 4% and 3% on loan amount upto Rs. 6 Lakh, Rs. 9 Lakh and Rs. 12 Lakh respectively. **This component has been ended by GoI in March 2022.**

4- In-situ Slum Redevelopment (ISSR)

- Central Assistance of Rs. 1 lakh per house is admissible for all houses built for eligible slum dwellers under the component using land as Resource with participation of private developers.
- After redevelopment, de-notification of slums by State Government is recommended under the guidelines
- No further sanction by GoI In the Component

Component	Approved	Proposed Curtailment	Approval after curtailment	Grounded	Project Proposed	Yet to be Grounded	Completed
CLSS	19,190	0	19,190	17152 (89%)	2038	0	17152(89%)
AHP	29,900	12596	17304	16840 (97%)	0	464	464(3%)
BLC	14253	396	17,020 *	13338 (78%)	2969	3,682	5911(35%)
RAY	3,130	455	2,675	2237 (84%)	0	438	2237(83%)
Grand Total	**66,473**	**13,447**	**56,189**	**49567(88%)**	**5007**	**4,584**	25764(46%)

: National Status :

Grounding : 85%
Completed : 51%

अमृत

Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन

अमृत योजना का उद्देश्य–

1– प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति और सीवरेज कनेक्शन।

2– हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों
की भव्यता में वृद्धि करना।

3– गैर–मोटरीकृत परिवहन (अर्थात पैदल चलना और साईकिल चलाना) के लिए सुविधाओं का निर्माण अथवा सार्वजनिक परिवहन अपनाकर प्रदूषण कम करना।

अमृत योजना के प्रमुख क्षेत्र

1– जलापूर्ति

2– सीवरेज सुविधायों और सेप्टेज प्रबन्धन

3– बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नाले।

4– पैदल मार्ग, गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, पार्किंग स्थल

5– बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्कों और मनोरंजन केन्द्रों का निर्माण

कवरेज

1– छावनी बोर्ड (सिविलियन क्षेत्र) सहित अधिसूचित नगरपालिकाओं सहित एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहर और कस्बे।

2– उपर्युक्त (1) में सामिल नहीं किये गये सभी राजधानी, शहर/राज्यों के कस्बे/संध राज्य क्षेत्र।

3– हृदय (HRIDAY) स्कीम के अन्तर्गत शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा विरासत शहरों के रुप में वर्गीकृत सभी शहर/कस्बे।

4– 75000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले 13 शहारों और कस्बों जो मुख्य नदियों के किनारे पर हैं।

5– पर्वतीय राज्यों, द्वीप समूहों और पर्यटन स्थलों से 10 शहर (प्रत्येक राज्य) से एक से अधिक शहर नहीं।

अस्वीकार्य घटक

1– परियोजनाओं अथवा परियोजना सम्बन्धित कार्यों के लिए भूमि की खरीद।

2– राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों दोनों के लिए स्टाफ के वेतन।

3– विद्युत।

4– दूरसंचार

5– स्वास्थ्य

6– शिक्षा

7– मजदूरी रोजगार कार्यक्रम और स्टाफ घटक

धन्यवाद